



प्रशासन अनुभाग

सं.मानू/प्रशासन/एफ.61/2021-22/04

दिनांक: 09 अगस्त, 2021

कार्यालय आदेश

विषय: मानू- दिनांक.31.08.2021 तक, कोविड-19 के नियंत्रण उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देशों के संबंध में।

- संदर्भ: 1. गृह मंत्रालय आदेश सं.40-3/2020-डीएम-I(ए)भारत सरकार, दिनांक 28.07.2021
2. गृह मंत्रालय आदेश सं.40-3/2020-डीएम-I(ए)भारत सरकार, दिनांक 29.06.2021
3. गृह मंत्रालय आदेश सं.40-3/2020-डीएम-I(ए)भारत सरकार, दिनांक 27.05.2021
4. गृह मंत्रालय आदेश सं.40-3/2020-डीएम-I(ए)भारत सरकार, दिनांक 29.04.2021
5. सं.मानू/प्रशासन/एफ.61/2020-21/1151 दिनांक 31.05.2021
6. सं.मानू/प्रशासन/एफ.61/2020-21/1137 दिनांक 20.04.2021
7. सं.मानू/प्रशासन/एफ.61/2020-21/1060 दिनांक 26.03.2021
8. दिनांक: 06.08.2021 प्रभारी कुलपति द्वारा अनुमोदित।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, आदेश सं.40-3/2020-डीएम-I(ए), दिनांक 28 जुलाई, 2021, के माध्यम से निर्देश है कि गृह मंत्रालय के संदर्भ 2 के आदेश दिनांक 29.06.2021 के अंतर्गत उद्धृत किया गया है, कोविड-19 के नियंत्रण उपायों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, जैसा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संलग्न आदेश डीओ सं.Z.28015/85/2021-डीएम सेल दिनांक 28.06.2021 के आदेश द्वारा सूचित किया गया है, आदेश दिनांक. 31.08.2021 तक लागू रहेगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा। तथापि, संदर्भित आदेश में कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का भी कड़ाई से पालन किया जाना है।

1. मानू की कोविड-19 निगरानी समिति नियमित रूप से स्थिति का आकलन करेगी तथा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए आवश्यक एहतियाती उपाय सुझाएगी / लेगी।
2. इसके अतिरिक्त, कोविड-19 निगरानी समिति विश्वविद्यालय के सभी हितधारकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं सेहत का ध्यान रखेगी तथा तनाव, अवसाद और अन्य मानसिक मुद्दों को दूर करने में उनकी सहायता करेगी, यदि कोई हो, तथा विश्वविद्यालय के सैटलाइट कैम्पसों की स्वास्थ्य समितियों को सहायता और सलाह देना जारी रखेगी।
3. इसके अतिरिक्त, मानू स्वास्थ्य समिति, समय-समय पर भारत सरकार/यूजीसी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार एहतियाती सामग्री की खरीद के लिए प्रस्ताव देगी।
4. अतिरिक्त आदेश तक किसी भी अतिथि को विश्वविद्यालय अतिथि गृह में रहने नहीं दिया जाएगा।
5. संबंधित अनुभागों / विभागों / केंद्रों के अध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि वे सैनिटाइज़र, फेस मास्क आदि की खरीद अपने अग्रदाय राशि से कर सकते हैं, यदि आवश्यक हो तो वे इस उद्देश्य के लिए भी अग्रिम भी ले सकते हैं।

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)



प्रशासन अनुभाग

6. राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में जहां कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए स्थानीय स्थितियाँ जो आंकलन पर आधारित है, स्थानीय प्रतिबंध लगाए गए हैं तथा ऐसे प्रतिबंधों के कारण अधिकारियों / कर्मचारियों की उपस्थिति इस तरह के प्रतिबंधों के कारण संभव नहीं हो, इस मामले की रिपोर्ट कर्मचारी द्वारा संबंधित अध्यक्षों / प्रभारी / मुख्यालय को दी जा सकती है, और वे कार्य समय के दौरान उन्हें अपने संबंधित विभागाध्यक्ष को ऑनलाइन उपलब्ध होना होगा तथा कार्यालय कार्य / ऑनलाइन शिक्षण में भाग लेना होगा, जैसा भी मामला हो।
7. सभी ऑफ-कैम्पस संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त विशिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करेंगे, जिनमें वे स्थित हैं।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यस्थलों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना है:
 - (क) वर्क फ्रॉम होम: जहां तक संभव हो, वर्क फ्रॉम होम पद्धति का पालन किया जाना चाहिए।
 - (ख) कार्यस्थलों/कार्यालयों में कार्य में विचलता (स्टैगरिंग)/ कार्य-समय का पालन किया जाएगा।
 - (ग) स्क्रीनिंग और स्वच्छता : सभी प्रवेश बिंदुओं पर थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोना(हैंड वॉश) अथवा सैनिटाइज़र की व्यवस्था की जाए तथा निकास बिंदुओं और सामान्य क्षेत्रों में हाथ धोने या सैनिटाइज़र करने की व्यवस्था की जाए।
 - (घ) नियमित सैनिटाइजेशन : पूर्ण कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं जैसे, दरवाजे के हैंडल आदि का सैनिटाइज़र सुनिश्चित किया जाए।
 - (ङ) सामाजिक दूरी(सोशल डिस्टेंसिंग): कार्य स्थलों के प्रभारी सभी कर्मचारियों के बीच पर्याप्त दूरी, शिफ्ट, विचलता(स्टैगरिंग), कर्मचारियों के भोजनालय(लंच-ब्रेक) आदि के बीच पर्याप्त अंतराल सुनिश्चित करेंगे।
 - (च) चेहरा ढंकना : सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों तथा परिवहन के दौरान मास्क/ फेस कवर पहनना अनिवार्य है।

S. S. S. S. S.
प्रभारी कुलसचिव

सेवा में

सभी अध्ययन संकायों के संकायाध्यक्ष/ विभागों के विभागाध्यक्ष/ केन्द्रों एवं निदेशालय के निदेशक/ प्रधानाचार्य/ प्रभारी/ केन्द्रीय पुस्तकालय एवं अनुभाग के अध्यक्ष (शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक) मुख्यालय एवं सैटलाइट कैम्पस, क्षेत्रीय केन्द्रों, उप-क्षेत्रीय केन्द्रों, संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण(डीएसडब्ल्यू), कुलानुशासक एवं प्रभारी सुरक्षा, प्रोवोस्ट(बालक एवं बालिका)

प्रति:

1. कुलपति / कुलसचिव / वित्त अधिकारी कार्यालय
2. निदेशक, सीआईटी विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
3. संबंधित फाइल